भारतीय रिज़र्व बैंक/ Reserve Bank of India
विशेष परियोजना कक्ष, परिसर विभाग/ Special Project Cell, Premises Department

बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त: केन्द्रीय कार्यालय भवन, मुंबई में 12 यात्री लिफ्टों की डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)

ई-निविदा सं.: 2026_आरबीआई_279592_1, 08 जून 2026 को अपलोड की गई

विषयांकित निविदा के लिए बोली-पूर्व बैठक 06 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित की गई। बोली-पूर्व बैठक में चार (04) फर्मों ने भाग लिया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित अधिकारी तथा प्रत्याशी फर्मों के निम्नलिखित प्रतिनिधि/बोलीकर्ता बोली-पूर्व बैठक के दौरान उपस्थित थे:

क्र. सं.	भारिबैं के अधिकारियों के नाम और पदनाम
I.	श्री ए एम मकानदार, उमप्र – तक.
II.	श्री अमित खण्डेलवाल, समप्र – तक.
III.	श्री आर नागार्जुन, सप्र (तक.)
IV.	श्री आशीष चौरसिया, सप्र (तक.)
V.	श्री जतिन गौतम (सप्र)
VI.	श्री आदित्य देशपांडे, कनि. अभि.

क्र. सं.	प्रत्याशी फर्म/बोलीकर्ता का नाम	प्रतिनिधि का नाम	
I.	टेक्नो एलेवेटर्स	श्री करण मोदी श्री पीयूष गोहील	(वेबेक्स के माध्यम से ऑनलाइन)
II.	ओटिस एलेवेटर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	श्री सर्वेश नांगीया श्री अब्दुल फ़हीम श्री रितेश पाटिल	(वेबेक्स के माध्यम से ऑनलाइन)
III.	टीके एलेवेटर्स कंपनी इंडिया प्रा.लि.	श्रीमती ज्योति त्रिपाठी	(वेबेक्स के माध्यम से ऑनलाइन)
IV.	शिंडलर इंडिया प्रा.लि.	श्री अमित मोड श्री अरुण माणिक्य श्री अभिषेक सिंह	स्वयं उपस्थित

2. प्रत्याशी बोलीकर्ताओं द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्रेषित / बैठक में उठाए गए प्रश्नों पर चर्चा की गई। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्र.	प्रश्न/प्रस्ताव	बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण
1.	कृपया निर्दिष्ट अवधि के दौरान ठेकेदार की साख और कारोबार के आकलन हेतु पिछले तीन वित्तीय वर्ष स्पष्ट करें, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु लेखा-परीक्षित विवरणियाँ अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं।	बोलीकर्ताओं द्वारा पिछले 3 वर्षों (यानी 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के लिए वित्तीय/कारोबार प्रमाणपत्र जमा किए जाने हैं। कारोबार प्रमाणपत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित होना चाहिए।
2.	मूल्य बोली में दर (भाग-II): विदेशी मुद्रा विनिमय और अन्य उतार-चढ़ाव पर विचार अपेक्षित है।	कंपनियों को यह सुझाव है वे मुद्रा और अन्य उतार-चढ़ाव का सही आकलन करें और उसी के अनुसार कोटेशन दें।
3.	फ़ैक्ट्री के दौरे पर जाने वाले बैंक के अभियंता से जुड़े खर्च का वहन बैंक द्वारा किया जाएगा।	बैंक के अभियंता द्वारा लिफ़्ट के निरीक्षण के लिए फ़ैक्टरी के दौरे का खर्च बैंक द्वारा वहन किया जाएगा। कृपया निविदा के सेक्शन III का खंड 18 देखें।
4.	माइलस्टोन चार्ट का नमूना: लिफ्ट को हटाने, सिविल और विद्युत कार्यों को ध्यान में रखते हुए, यदि एक बार में 2 लिफ़्ट पर काम करने की अनुमति हो, तो परियोजना पूर्ण होने में 3 वर्ष लगेंगे। यदि एक साथ 3 या 4 लिफ़्ट बदलने की अनुमति हो, तो 2 वर्ष का माइलस्टोन प्राप्त किया जा सकता है।	एक बार में कम से कम दो (प्रत्येक समूह से एक-एक) और अधिकतम 4 लिफ़्ट (प्रत्येक समूह से दो-दो) ली जा सकती हैं। हालाँकि, दो वर्षों की समय-सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा।
5.	भुगतान की प्रस्तावित शर्तें: 80%+10%+10%	I. उद्धृत दर का **70% हिस्सा** आनुपातिक आधार (प्रो-रेटा आधार) पर जारी किया जाएगा। यह तब होगा जब उपकरण का फ़ैक्टरी में परीक्षण हो जाए, उनकी सभी आवश्यक सामानों के साथ साइट पर आपूर्ति कर दी जाए, और नियोक्ता के अधिकृत प्रतिनिधि साइट पर उन्हें स्वीकार कर लें। साथ ही, नीचे दिए गए दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे। क. निर्माता का निरीक्षण और परीक्षण प्रमाणपत्र ख. यह प्रमाणपत्र कि प्रणाली की सफल स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण (जिसमें रखरखाव भी शामिल है) के लिए सभी घटक, पुर्जे, उप-प्रणाली, उपभोग्य वस्तुएं आदि साइट पर अच्छी हालत में मिल गई हैं, और यदि स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के

		दौरान कोई कमी पाई जाती है, तो उनकी आपूर्ति बैंक को निःशुल्क की जाएगी। ग. निविदा की शर्तों के अनुसार बीमा पॉलिसी/ पीबीजी II. उद्धृत दर का **20% हिस्सा**, माइलस्टोन के अनुसार लिफ्ट हटाने और लिफ्ट लगाने के बाद, आनुपातिक आधार (प्रो-रेटा आधार) पर जारी किया जाएगा। III. उद्धृत दर का **10% हिस्सा** तब दिया जाएगा जब प्रणाली को लगाने, परीक्षण करने, शुरू करने और बैंक को सौंपने का काम संतोषजनक ढंग से पूरा हो जाए और महाराष्ट्र के लिफ्ट इंस्पेक्टर से लिफ्ट लाइसेंस जमा कर दिए जाएं।
6.	प्रतिधारण राशि - आरए बिल और अंतिम बिल से 5% की कटौती नहीं की जा सकती है। बोलीकर्ता संविदा की कुल राशि के 10% के बराबर राशि की अग्रिम निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा कर सकता है।	यदि कोई फ़र्म शुरू में ही 10% निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) (5% आरएमडी + 5% पीबीजी) जमा करना चाहती है, तो वह ऐसा कर सकती हैं। इसके बाद, आरए और अंतिम बिल से आरएमडी के तौर पर कोई कटौती नहीं की जाएगी। ऐसी पीबीजी कार्य आदेश मिलने के 14 दिनों के भीतर जमा करनी होगी और यह दोष देयता अवधि (डीएलपी) के बाद 60 दिनों तक मान्य रहीगी; समय सीमा बढ़ने पर इसे उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है। व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) के लिए निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) से जुड़ी शर्तें निविदा के भाग – I, सेक्शन III के खंड 14(V) के अनुसार ही रहेंगी।
7.	न्यूनतम चल खाता बिल निविदा मूल्य का 1/10 होगा।	न्यूनतम चल खाता बिल निविदा मूल्य का 1/40 होगा।
8.	साइट की स्थिति: यह कार्य एक व्यस्त कार्यालय भवन में किया जाना है, इसलिए कार्यालयीन अवधि में काम करने की जगह (वर्क फ्रंट) की उपलब्धता सीमित हो सकती है। इसलिए, निविदा भरने वालों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक के काम के सामान्य समय के बाद और शनिवार/ रविवार/ बैंक की छुट्टियों के दिन (साइट उपलब्ध होने पर) पूरे दिन काम करने की योजना बनाएं। निविदा जमा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।	यह साइट कार्यालयीन अवधि में भी काम करने के लिए उपलब्ध है। यदि कुछ कार्यालयीन आवश्यकताओं के कारण साइट अनुपलब्ध रहती है तो विक्रेता को पहले ही सूचित किया जाएगा। विक्रेताओं को तदनुसार योजना बनानी होगी। ऐसे व्यवधानों के लिए कोई एलडी नहीं लगाया जाएगा।

9.	बीमा द्वारा कवर किए जा सकने वाले नुकसान: संविदा के मूल्य के 100% तक सीमित।	मानदंडों में कोई बदलाव नहीं है; हालाँकि, तृतीय पक्ष देयता के मामले में, 5 घटनाओं पर विचार किया जा सकता है।
10.	स्थापना के दौरान पुरानी और नई लिफ्ट को सिंक्रोनाइज़ करने की तकनीक फर्म के पास होनी चाहिए।	आवश्यक नहीं है
11.	लिफ्ट की सामने की दीवार को यथास्थिति रखते हुए ही समस्त स्थापाना कार्य किया जाएगा।	हाँ, विक्रेता नुकसान को कम करने और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत करने की कोशिश करेगा।
12.	डिज़ाइन के मानदंड: इमारत के हिलने-डुलने (स्वे), पिस्टन प्रभाव, चिमनी/स्टैक प्रभाव और भूकंप से बचाव के लिए समाधान।	लागू किए जा सकने वाले मानदंडों पर विचार किया जाएगा
13.	बीएमएस के साथ एफए का समन्वय	समन्वय के लिए पोर्ट उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
14.	बिजली जाने की स्थिति में ब्लोअर कम से कम 15 मिनट तक लगातार चलते रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक रिचार्जेबल यूपीएस से जोड़ा जाएगा।	बैंक एकल बिन्दु यूपीएस स्त्रोत उपलब्ध कराएगा, और उसके बाद के बिजली वितरण के लिए कनेक्शन विक्रेता को करने होंगे।
15.	कार तथा लैंडिंग द्वार : न्यूनतम 1.5 मिमी मोटाई	न्यूनतम 1.2 मिमी की मोटाई आवश्यक है
16.	क्या सेक्शन IX में बताए गए हॉल लेंटर्न तथा गोंग को शामिल किया जाना है?	आवश्यक नहीं है
17.	प्रत्येक प्रवेश द्वार के हेडर और ऊपर वाले फ़्लोर की चौखट के बीच कम से कम 1.6 मिमी के ज़िंक-कोटेड माइल्ड स्टील शीट के फ़ेशिया पैनल लगाए जाएँगे। क्या यह आवश्यक है?	IS 17900 के अनुसार
18.	सभी केबल – कृपया प्रकार बताइए	ज्वाला मंदक कम धुआं और हैलोजन-मुक्त (एफ़आरएलएसएच) की आवश्यकता है।
19.	यदि बिना विराम वाली मंजिलों (6, 9, 12) की ऊंचाई में 11 मीटर से ज़्यादा का अंतर है, तो क्या इनके लिए ऑनलाइन निर्बाध बिजली आपूर्ति (यूपीएस) या जेनरेटर की आवश्यकता होगी।	सभी लिफ्ट डीजी सेट से जुड़ी हुई हैं।
20.	क्या लिफ्ट में वातानुकूलन की आवश्यकता है?	आवश्यक नहीं है
21.	क्या गड्ढे को भरा जा सकता है, या गड्ढे तक पहुँचने के लिए दरवाज़ा लगाना ज़रूरी है?	फर्म को लिफ्ट की सुरक्षित और सफल एसआईटीसी (आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और

		कमीशनिंग) और उनके रखरखाव के लिए ज़रूरी और उचित कदम उठाने होंगे। ये सभी काम विक्रेता के दायरे में आते हैं।
22.	क्या सभी लिफ्ट में सीओपी ढंका हुआ है या केवल फायर लिफ्ट में?	सभी लिफ़्ट में आवश्यक
23.	विक्रेता को सभी लागू अनापत्ति प्रमाणपत्र (जैसे अग्नि संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र आदि) प्राप्त करने होंगे और उनका पालन करना होगा।	इसका भुगतान और व्यवस्था विक्रेता द्वारा किया जाना है। मूल रसीदें प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा वैधानिक भुगतान की राशि की प्रतिपूर्ति इस कार्यालय द्वारा कर दी जाएगी।
24.	लिफ्ट कारों की आंतरिक सज्जा – कृपया स्पष्ट करें	लिफ्ट कार में छत की विसरित प्रकाश व्यवस्था सहित उच्चतम कोटी की आंतरिक सज्जा होनी चाहिए।

3. निविदा / बोली दस्तावेज़ में उल्लिखित शर्त, नियम और विनिर्देश तब तक समान रहेंगे, जब तक कि बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त या शुद्धिपत्र में अन्यथा न कहा गया हो / स्पष्ट न किया गया हो।

4. बोली-पूर्व बैठक का यह कार्यवृत्त निविदा / बोली दस्तावेज और करार / संविदा का एक भाग होगा।

5. बोलीकर्ताओं द्वारा बोलियाँ जमा करने का अर्थ यह माना जाएगा कि यह निविदा / बोली दस्तावेज और ऊपर दिए गए संशोधनों / स्पष्टीकरणों के अनुरूप हैं।

हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।